बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना–15, 30 जुलाई, 2019

संख्या : 1/सी0–01009/2018–सा0प्र0–10236/श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(बिहार संवर्ग) के बैच वर्ष, 1996 के पदाधिकारी हैं। दिनांक 20.02.2009 से दिनांक 23.02.2010 तक वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर स्थापित थे। तदुपरान्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के विरमन आदेश दिनांक 23.02.2010 के आलोक में उन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत निदेशक (जनगणना कार्य) का प्रभार दिनांक 24.02.2010 को ग्रहण किया।

1.1 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की आलोच्य अवधि में निगमायुक्त, पटना की संदर्भित पदस्थापन अवधि की अनियमितता के प्रसंग में उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–54/2010 दिनांक 21.07.2010 दर्ज हुआ था। तत्पश्चात्, भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा दिनांक 06.06.2011 के प्रभाव से बिहार संवर्ग को वापस कर दी गयी और तदन्तर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–6/आ0–20/2010–7432 दिनांक 30.06.2011 से उन्हें निलंबित किया गया।

1.2 बैच वर्ष, 1996 का पदाधिकारी होने के कारण विशेष सचिव ग्रेड में उनकी प्रोन्नति 13 वर्षों की तय सेवावधि के उपरान्त दिनांक 01.01.2009 को विचारणीय हुई थी। परन्तु, दिनांक 06.06.2011 के निलंबन आदेश को दृष्टिगत करते हुए प्रोन्नति समिति द्वारा विशेष सचिव ग्रेड में उनकी प्रोन्नति लंबित रखी गयी।

1.3 श्री कुमार द्वारा प्रासंगिक निलंबनादेश के विस्तारण के विरुद्ध माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में ओ0ए0 संख्या–959/2012 दायर की गयी थी। दिनांक 26.02.2013 को पारित हुए आदेश में माननीय कैट द्वारा 90 दिनों के बाद के निलंबन संबंधी विस्तारणों को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात्, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–6/आ0–376/2006–सा0प्र0–3035 दिनांक 05.03.2014 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2. श्री के0सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(1996) द्वारा विशेष सचिव एवं सचिव ग्रेड में प्रोन्नति हेतु माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में एक ओ0ए0 (संख्या–050/ 00541/2015) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 16.03.2018 को पारित को पारित न्यायादेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"As no such charge sheet/charge memo had been issued to the applicant on 27.10.2009, 09.02.2010 and 27.12.2010 (the three dates when the DPC had met), the ratio laid down in Jankiraman (Supra) is fully applicable in this case, and, upon disagreement with the speaking order dated 25.06.2015, we set the said speaking order aside."

"The second question is whether proforma promotion is applicable to the applicant in line with that of his junior, Shri H.R. Srinivas. Here, in our cosidered view, the answer is in the affirmative."

"Nothing prevented the respondents from convening a DPC to grant proforma promotion to the applicant once his junior had been so notified on 18.03.2010 and, admittedly, the applicant joined central deputation, after being relieved on 23.02.2010."

"In that view of the matter, the order of the respondents dated 25.06.2015 in Annexure-A/6 rejecting the representation of the applicant, is so far as, his promotion to the post of Special Secretary (Selection Grade) isconcerned, is hereby set aside. The respondents are hereby directed to act upon the recommendation of DPC dated 09.02.2010 and to promote the applicant to the post of Special Secretary in Selection Grade in line with and with effect from the date from which his immediate junior was accorded proforma promotion. The applicant will be entitled to consequential benefit as laid down in Rule 3 (5) (b) of IAS Pay Rule 1954 in the matter of emoluments as well as seniority."

"In so far as promotion of applicant to super time scale is concerned, it is to be considered with the law and after disposal of disciplinary proceedings, if any, pending against the applicant. "

2.1 ओ0ए0 संख्या–050/00541/2015 में माननीय कैट, पटना पीठ, पटना द्वारा दिनांक 16.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री के0 सेंथिल कुमार को अनुमान्य परिणामी लाभों के साथ ठीक कनीय पदाधिकारी–श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(96) की सापेक्षता में दिनांक 23.02.2010 के प्रभाव से विशेष सचिव ग्रेड में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की गयी । इस प्रोन्नति का आधार यह था कि दिनांक 23.02.2010 को श्री कुमार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और उस तिथि को उनके विरुद्ध संबंधित आपराधिक कांड में न तो आरोप–पत्र सक्षम न्यायालय में समर्पित हुआ था, न ही इस संदर्भ में विभागीय कार्यवाही आरंभ थी।

2.2 माननीय कैट के आदेश दिनांक दिनांक 16.03.2018 को संदर्भित करते हुए श्री कुमार द्वारा सचिव स्तर में प्रोन्नति के संबंध में एक पुनर्विचार आवेदन (आर. ए.) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.06.2018 को पारित आदेश का मुख्य भाग अग्रांकित है:–

(क) <u>दिनांक 16.03.2018 के आदेश का संगत अंश</u>

"In so far as promotion of the applicant to super time scale is concerned, it is to be considered by the respondents in due course in accordance with the law and after disposal of disciplinary proceedings, if any, pending against the applicant."

(ख) <u>दिनांक 26.06.2018 के आदेश का संगत अंश</u>

"Accordingly, as the respondents have been directed to consider the promotion of the applicant to Super Time Scale in due course in accordance with law, the ratio, as established in the orders of the Tribunal, will apply and hence there is no requirement to review and pass any other orders in modification of the earlier orders dated 16.03.2018."

2.3 सचिव ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय कैट, पटना पीठ, पटना में एम0ए0 संख्या–050/00518/2018 तथा पुनर्विचार याचिका, संख्या–50/6/2019 भी दायर की गयीं, जिनमें दिनांक 24.01.2019 को एक समेकित आदेश पारित हुआ । आदेश का मूल पाठ अग्ररुपेण है:–

"Heard the parties. The RA is allowed. After hearing the parties, we find that there is an error on the face of the record, by way of issuing the direction in the present tense though it was intended to be referring to the time when suitability for promotion was to be considered. This can be corrected by making the following small corrections:-

(i) On page 2, para 2, second line the word **'have'** to be substituted with word **'had'.**

(ii) In page 3, para 4, third line from bottom, the word **'is'** to be substituted with 'was' and in the same para, second line from bottom, after the words ***'proceeding pending against him'*** the word **'on the date when DPC considering promotion to his juniors was held'** to be inserted.

2.4 आर0ए0 संख्या–50/6/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 और उससे संबंधित पूर्व के आदेश दिनांक 13.12.2018 की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:–

दिनांक 13.12.2018 के आदेश से संबंधित अंश	प्रासंगिक आर0ए0 में आदेशित परिवर्तन
The respondents State of Bihar in their written statement ***have*** alleged that due to charges levelled against the applicant in criminal case lodged at at the Nigrani Thana Patna as case no. 54/2010 a departmental proceeding was initiated against the applicant vide memo no.5254 dated 27.06.2012. In view of that charges the applicant was put under suspension vide resolution No. 7432 dated 30.03.2011 of General Administration Department, Bihar, Patna.	On page 2, para 2, second line the word **'have'** to be substituted with word **'had'.**
Hence, without passing any judgment on the merits of the date of eligibility of his promotion, we direct the respondents to put his case before the next meeting of the DPC and follow the procedure applicable for deciding about the suitability for promotion as well as date of effect from which this promotion should come into effect. The decision may be kept in a seald cover if there ***is*** any **departmental proceeding pending against him.** Accordingly, the OA as well as MA are disposed of	In page 3, para 4, third line from bottom, the word **'is'** to be substituted with **'was'** and in the same para, second line from bottom, after the words ***'proceeding pending against him'*** the word **'on the date when DPC considering promotion to his juniors was held'** to be inserted.

3. ओ0ए0 संख्या–50/6/2019 में दिनांक 24.01.2019 को पारित आदेश के अनुरुप परिवर्तित स्थिति की संगति में श्री कुमार को दिनांक 30.06.2011 के संकल्प द्वारा निलंबन के अधीन किये जाने के 90 दिनों के बाद के उनके निलंबन संबंधी विस्तारणों को माननीय कैट, पटना पीठ, पटना द्वारा ओ0ए0संख्या–959/2012 (जिसमें पारित आदेश से श्री कुमार के निलंबन के सभी विस्तारणों को समाप्त कर दिया गया था) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2013 के आलोक में निलंबन समीक्षा समिति की दिनांक 09.05.2019 की बैठक में मामले को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। **बैठक में समिति द्वारा श्री कुमार के निलंबन की 90 दिनों की अवधि के बाद विस्तारित सभी अवधि को निरस्त**

करते हुए उनके निलंबन को दिनांक 05.03.2014 के स्थान पर दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से समाप्त करने और इस अवधि को कर्त्तव्य की अवधि मानते हुए वेतन एवं अन्य लाभ देने की अनुशंसा की गयी।

3.1 निलंबन समीक्षा समिति की दिनांक 09.05.2019 की बैठक की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय संकल्प, ज्ञापांक–6/आ0–12/2019 –सा0प्र0–8107 दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(96) के निलंबन की 90 दिनों की अवधि के बाद उनके निलंबन के सभी विस्तारणों को निरस्त करते हुए दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से निलंबन समाप्त कर संदर्भित निलंबनादेश के विस्तारण से आच्छादित अवधि को वेतन एवं अन्य देय लाभ के साथ कर्त्तव्य अवधि माना गया है।

4. **विभागीय संकल्प दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री कुमार के निलंबन आदेश में किये गये संशोधन के अनुसार श्री कुमार दिनांक 30.09.2011 के प्रभाव से निलंबन मुक्त हो गये हैं।**

साथ ही, दिनांक 30.09.2011 को उनके विरुद्ध न तो विभागीय कार्यवाही का ज्ञापन निर्गत था, न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक काण्ड का आरोप–पत्र समर्पित था क्योंकि, सक्षम न्यायालय में उनके विरुद्ध आरोप–पत्र दिनांक 27.07.2012 को समर्पित हुआ है तथा विभागीय कार्यवाही का ज्ञापन दिनांक 27.06.2012 को निर्गत हुआ है।

5. बैच वर्ष, 1996 का पदाधिकारी होने के कारण श्री कुमार को 16 वर्षों की अर्हक सेवावधि के बाद दिनांक 01.01.2012 से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति आदेय होती है। दिनांक 19.12.2018 को आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक में तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर श्री कुमार की अनुशंसा को मुहरबंद किया गया था।

5.1 परन्तु, श्री कुमार के निलंबन आदेश से संबंधित सभी विस्तारणों को विभागीय संकल्प दिनांक 18.06.2019 द्वारा निरस्त किये जाने के बाद की बदली हुई परिस्थिति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुसार ठीक कनीय पदाधिकारी–श्री एच0आर0 श्रीनिवास को सचिव ग्रेड में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उक्त ग्रेड में उनकी प्रोन्नति की अनुमान्यता बनती है।

5.2 चूँकि, श्री एच0आर0 श्रीनिवास(96) को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1028/2010 –सा0प्र0–9383 दिनांक 04.07.2019 द्वारा दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति प्रदान की गयी है, फलस्वरुप, ऊपर की कंडिका–4 के आलोक में श्री सेंथिल कुमार को दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव से सचिव ग्रेड की प्रोन्नति देय होती है।

6. **अतएव, श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(1996) की सापेक्षता में श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्रसे0(1996) को दिनांक 13.02.2012 के प्रभाव अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।**

7. **उपर्युक्त प्रोन्नति के आलोक में श्री कुमार को सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.7.19

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1009/2018—सा0 प्र0— 10236/पटना—15, दिनांक : 30 जुलाई, 2019

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:—

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

30.7.19

सरकार के अवर सचिव